



## प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 28.11.2022

नाबालिग लडकी से छेडछाड करने वाले आरोपियों तेजपाल व सतीश को पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर हुआ 04 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

### कार्यवाही -

अवगत कराना है कि अभियुक्तों तेजपाल पुत्र राजू व सतीश पुत्र राजू निवासीगण ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वर्ष-2014 में वादिया की नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड की घटना कारित की गयी थी । जिसके सम्बन्ध में थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0- 280/2014 धारा 354डी भादवि व 8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई । जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 28.11.2022 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज स्पेशल पोक्सो कोर्ट जनपद बागपत द्वारा अभियुक्तों तेजपाल व सतीश को दोषी पाते हुए धारा 08 पोक्सो एक्ट में प्रत्येक को 04 वर्ष का कठोर कारावास व 4000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

### दोषसिद्ध अपराधियों का नाम व पता-

- 1-तेजपाल पुत्र राजू निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत
- 2- सतीश पुत्र राजू निवासी ग्राम हिसावदा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28/11/2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 891/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगस्टर/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 891/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-अर्जुन पुत्र संदल सिंह उर्फ सैदल उर्फ सेदाल निवासी ग्राम सूरजपुर महनवा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त अर्जुन का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0- 697/19 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0-699/19 धारा 414/417/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0-893/21 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 891/22 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली बागपत जनपद  
बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री राममूर्ती शर्मा थाना कोतवाली बागपत ।
- 2-का0 698 विकास थाना कोतवाली बागपत ।
- 3-का0 243 मनोज थाना कोतवाली बागपत ।
- 4- का0 846 नरेन्द्र थाना कोतवाल बागपत ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28-11-2021

ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 675/22 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृत को सकुशल बरामद किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माईल अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 675/21 धारा 365 भादवि से संबंधित अपहृत सुलेमान उर्फ सलमान पुत्र



जाहिद निवासी इन्द्रा कालोनी निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत को सकुशल बरामद किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0- श्री विनोद कुमार ।

2-का0 179 सचिन कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 28-11-2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम पता-

1-नगेन्द्र उर्फ कल्लू पुत्र महीपाल सिंह निवासी शताब्दीनगर करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री महेन्द्र सिंह थाना कोतवाली बागपत ।

2-का0 981 अंकित कुमार थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना बडौत

दिनांक 28.11.2022

थाना बडौत पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो वायरल के आरोपी को मय तमंचे के किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति का तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ था । जिसका थाना बडौत पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया एवं व्यक्ति को चिन्हित किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ फोटो वायरल करने वाले आरोपी को मय तमंचे के गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



अनुरोध- बागपत पुलिस द्वारा अनुरोध किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलहे का प्रयोग न करे एवं लाईसेंसी हथियारो का प्रदर्शन ना किया जाये, यदि ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी ।

### गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता -

1-अरशद अन्सारी पुत्र नजीब अंसारी निवासी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

## बरामदगी की विवरण—

- एक अवैध तमन्चा 12 बोर ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री गवेन्द्र पाल सिंह ।
- 2- का0 970 रोहित कुमार ।
- 3- 1070 नरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बालैनी

दिनांक 28.11.2022

थाना बालैनी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 162/22 धारा 147/323/336/504/506  
भादवि में वांछित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 21.11.22 को वादी अक्षय पुत्र सुरेश निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण प्रिंस, मयंक, निखिल, आकाश, श्रवण निवासीगण ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी द्वारा एक राय होकर



उसके साथ गाली-गलौच करते हुए लाठी-डण्डो व ईंट पत्थर से मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी देते हुये भाग गए । इस संबध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बालैनी पर मु0अ0सं0 162/22 धारा 147/323/336/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया था ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 162/22 धारा 147/323/336/504/506 भादवि में वांछित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-प्रिंस पुत्र देवेन्द्र निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 2-मयंक पुत्र हरिओम निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 3-निखिल पुत्र राकेश निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
- 4-आकाश पुत्र रवीन्द्र निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. श्रवण पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम हबीबपुर नंगला थाना बालैनी जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री शीलेन्द्र सिंह थाना बालैनी जनपद बागपत ।
2. है0का0 71 लक्ष्मीनारायण थाना बालैनी जनपद बागपत ।
3. है0का0 416 दीपक राणा थाना बालैनी जनपद बागपत ।
4. का0 418 परमजीत थाना बालैनी जनपद बागपत ।
5. का0 980 अरविन्द थाना बालैनी जनपद बागपत ।
6. का0 1024 उपेन्द्र यादव थाना बालैनी जनपद बागपत ।





प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 28.11.2022

थाना चांदीनगर पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-उदयवीर पुत्र केशवराम निवासी ग्राम सांकलपुट्टी थाना चांदीनगर जनपद बागपत।

2-गुलफाम पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी गौना थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

2-उ०नि० श्री अख्तर अली थाना चांदीनगर जनपद बागपत

3.का० 832 बितेन्द्र सिंह थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।

4.का० 853 राशिद खान थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना छपरौली

दिनांक 28.11.2022

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 328/22 धारा 147/302/201/120 बी भादवि व थाना रमाला के मु0अ0सं 309/22 धारा 302/366/506/201/120बी/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.11.2022 को थाना छपरौली पर वादी मुस्ताक पुत्र अय्यूब निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जिला बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1.मुर्सलीन उर्फ काला पुत्र ताहिर, 2.अरमान उर्फ भूरा पुत्र ताहिर, 3.मुजम्मिल पुत्र ताहिर निवासीगण ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत,



4.शहनवाज पुत्र अब्बास निवासी मखियाली थाना नई मण्डी जनपद मुजफ्फरनगर व एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक राय होकर उसके पुत्र आरिफ की हत्या कर शव को ग्राम लूम्ब थाना छपरौली के जंगल में डाल दिया है। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 328/22 धारा 147/302/201 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान धारा 120बी भादवि की वृद्धि की गयी।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

328/22 धारा 147/302/201/120बी भादवि व थाना रमाला के मु0अ0सं0 309/22 धारा 302/366/506/201/120बी/34 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त यामीन को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**नोट-** उपरोक्त मुकदमों में थाना छपरौली पुलिस एवं थाना रमाला पुलिस द्वारा पूर्व में 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

### **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

1-यामीन पुत्र उमरदीन निवासी ग्राम असारा थाना रमाला जनपद बागपत।  
हाल निवासी मौ0 हबीबाबाद सहारनपुर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

- 1-थानाध्यक्ष श्री नितिन पाण्डेय थाना छपरौली।
- 2-उ0नि0 श्री उदयवीर सिंह थाना छपरौली।
- 3-का0 731 मनीष कुमार थाना छपरौली।
- 4-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली।



प्रेस नोट

थाना खेकड़ा

दिनांक 28.11.2022

थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

**कार्यवाही:-**

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



**गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता:-**

1-दानिश पुत्र नसीम निवासी कांशीराम कालोनी करबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-**

1-उ0नि0 श्री प्रियवृत्त आर्य थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।

2-का0 978 पुनीत कुमार थाना खेकड़ा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट  
थाना खेकडा

दिनांक 28.11.2022

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार,  
जिनके कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 02 अवैध चाकू बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-वसीम पुत्र नन्हे निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मुन्नन पुत्र नन्हे निवासी रटौल थाना खेकडा जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त वसीम का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0सं0 41/2017 धारा 25 आयुध अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0सं0 43/2017 धारा 10/3 उत्तर प्रदेश गुंडागर्धी नियन्त्रण अधि0 थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0सं0 379/22 धारा 392/411 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 522/22 धारा 4/25 A ACT थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार अभियुक्त मुन्नन का आपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 599/21 धारा 414 आईपीसी थाना खेकडा जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 522/22 धारा 4/25 A ACT थाना खेकडा जनपद बागपत ।

## बरामदगी का विवरण-

- 02 अवैध चाकू ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री शिववीर सिंह

2- है0का0 53 रविन्द्र सिंह

3- का0 701 शोकिन्द्र सिंह



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 28.11.2022

थाना रमाला पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



## गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-कपिल पुत्र वीर सैन निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-संजीव पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम जिवाना थाना रमाला जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. व0उ0नि0 श्री सोनवीर सिंह थाना रमाला ।
2. उ0नि0 श्री अमरदीप सिंह थाना रमाला ।
3. उ0नि0 का0 952 मोहित कुमार ।
4. का0 879 अमरेश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 28-11-2022

**थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 02 जिलाबदर अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।**

## कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर 02 जिलाबदर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।





### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-राहुल पुत्र ओमपाल निवासी ग्राम तैडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-ओमपाल पुत्र पलटू निवासी ग्राम तैडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त राहुल का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 420/22 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 177/19 धारा 452/323/504/506/325 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 178/19 धारा 147/323/452/504/506/354 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार अभियुक्त ओमपाल का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 421/22 धारा 10 गुण्डा अधिनियम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 177/19 धारा 452/323/504/506/325 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 178/19 धारा 147/323/452/504/506/354 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1.व0उ0नि0 श्री भूरेन्द्र सिंह थाना सिंघावली अहीर ।

2.है0का0 241 उमेश कुमार थाना सिंघावली अहीर ।